

Government of India
Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)
Electronics Niketan, 6, CGO Complex
New Delhi-110003

No. 3(2)/2011-HRD (Vol.VI)

20.08.2019

To

Shri Mantosh Kumar
Dr. Shankuntala Mishra National Rehabilitation University
Boys Hostel, Block – 1, Room No. 203
Mohan Road, Lucknow
Telangana - 500029
U.P 226017

Subject: Information under RTI Act, 2005.


Sir,

This has reference to your application dated 'Nil' received from Shri S.K. Tyagi, Deputy Director (RTI Cell), MeitY vide communication no. 1(1)/2019-RTI (Vol.II) dt. 08.08.2019 under the RTI Act, 2005.

2. In this regard, it is informed that the information in respect of HRD Division is 'Nil'.
3. In case, you want to go for an appeal with reference to the information provided, you may prefer an appeal to the Appellate Authority as per details below:

Shri A. K. Pipal
Scientist 'F' and Appellate Authority
HRD Division
Ministry of Electronics & Information Technology
Electronics Niketan,
6, CGO Complex, Lodi Road
New Delhi-110003

Yours faithfully,



Surendra Singh

Joint Director


(CPIO-HRD Division)

Tel: 24301419, Fax: 24366559

Email: s.surendra@nic.in

Copy for information to:

Shri S.K. Tyagi, Deputy Director (RTI Cell), MeitY


23/08/19 o/c

नंबर 1 (1) / 2019 - आरटीआई (Vol.II)
भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
नई दिल्ली -110003

दिनांक: 08.08.2019

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन-पत्र ।

इस मंत्रालय को श्री मंतोष कुमार, दिनांक शून्य का आवेदन-पत्र, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-43011/157/2019-आरटीआई दिनांक 01.08.2019 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्त हुआ है (प्रतिलिपि संलग्न)। चूंकि आवेदन की विषय वस्तु संलग्न सूची से संबंधित है, अतः उक्त आवेदन को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अंतरित किया जाता है।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि संबंधित जानकारी आवेदन कर्ता को सीधे भेज दी जाए। यदि मांगी गयी सूचना या सूचना का कोई अंश किसी अन्य केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से सम्बंधित है तो उक्त आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत सम्बंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्रदान करने हेतु भेज दिया जाए।



(एस. के. त्यागी)

उप निदेशक एवं

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

संलग्न - यथोपरि

सेवा में,

संलग्न सूची के अनुसार.

प्रतिलिपि : श्री मंतोष कुमार, डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, पुरुष छात्रावास,
ब्लॉक 1, कमरा न.-203. मोहन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226017

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के सन्दर्भ में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि मैं मंतोष कुमार एक दृष्टिदिव्यांग नागरिक हूँ। मैं विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ, जो कि निम्न प्रकार हैं-

- 1- वर्तमान तिथि तक भारत सरकार के विभिन्न निकायों में दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों को भरने हेतु बैकलॉग के अंतर्गत भरे गए पदों की सम्पूर्ण सूची अभ्यर्थियों के नाम, दिव्यांगता का प्रकार, प्रतिशत, पद नाम व विभाग के साथ प्रदान करें।
- 2- वर्तमान तिथि तक भारत सरकार के विभिन्न निकायों के अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत भरे गए कुल पदों में पूर्ण दृष्टिदिव्यांग व अल्प दृष्टिदिव्यांग अभ्यर्थियों का नाम उनके दृष्टिदिव्यांगता का प्रतिशत, पद नाम, विभाग व श्रेणी सहित सम्पूर्ण विवरण सभी अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ प्रदान करें।
- 3- वर्तमान तिथि तक विभिन्न राज्यों में दिव्यांगजनों को आरक्षित पदों पर नियुक्ति दिलाने हेतु बैकलॉग के अंतर्गत भरे गए पदों की सम्पूर्ण सूची अभ्यर्थियों के नाम दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत, पद नाम व विभाग के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अंतर्गत प्रदान करें।
- 4- वर्तमान तिथि तक विभिन्न राज्यों में दिव्यांगजनों को आरक्षित पदों पर नियुक्ति दिलाने हेतु बैकलॉग के अंतर्गत भरे गए कुल पदों में पूर्ण दृष्टिदिव्यांग व अल्प दृष्टिदिव्यांग अभ्यर्थियों का नाम उनके दृष्टिदिव्यांगता का प्रतिशत, पद नाम, विभाग व श्रेणी सहित सम्पूर्ण विवरण सभी अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अंतर्गत प्रदान करें।
- 5- भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में दिव्यांगजनों की एकल पहचान हेतु स्वावलम्बन कार्ड (UDID) की व्यवस्था आरम्भ की गयी, इस सन्दर्भ में वर्तमान तिथि तक प्रत्येक राज्यवार जारी किये गए स्वावलम्बन कार्ड (UDID) की सम्पूर्ण सूची प्रदान करें।
- 6- भारत सरकार द्वारा स्वावलम्बन कार्ड (UDID) को पूरे देश में एक समान रूप से मान्य बनाने के उद्देश्य से वर्तमान तिथि तक की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेज प्रदान करें।
- 7- भारत सरकार द्वारा सन 2008 में दिव्यांगजनों हेतु सामान्य अवसर व सम्पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी संधि पत्र (UNCRPD) को हस्ताक्षरित व अनुमोदित किया गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि उपरोक्त संधिपत्र को अनुमोदित करने वाला प्रत्येक राष्ट्र

R.V.

31/07/2019

3 वर्ष के अंतराल पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा उपरोक्त विषयक गठित आर.पी.डी समिति के समक्ष अपनी प्रगति आख्या प्रस्तुत करेगा। इस सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर.पी.डी समिति के समक्ष प्रस्तुत सभी प्रगति आख्या की प्रतिलिपि प्रदान करें।

8- भारत सरकार द्वारा वर्तमान तिथि तक कौशल विकास योजना के अंतर्गत दृष्टिदिव्यांगजनों को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करने सम्बन्धी ऐसे सभी केंद्रों का नाम, प्रत्येक वर्ष के अनुसार प्रत्येक केंद्र को उपलब्ध कराई गयी राशि, प्रत्येक केन्द्रवार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण उनके दृष्टिदिव्यांगता प्रमाणपत्र की छायाप्रति के साथ प्रदान करें।

9- भारत सरकार द्वारा वर्तमान तिथि तक सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु यातायात सुगम्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी कार्यवाही सम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान करें।

10- नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा वर्तमान तिथि तक दिव्यांगजनों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से प्रदान किये गए ऋण सुविधा सम्बन्धी दस्तावेज जिसमें कि लाभार्थी का नाम, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र व विकलांगता का विवरण शामिल हो, की छायाप्रति प्रदान करें।

11- नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा वर्तमान समय में दिव्यांगजनों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण तथा उसका लाभ प्राप्त करने सम्बन्धी नियमावली की प्रतिलिपि प्रदान करें।

12- नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को नेशनल फण्ड व ट्रस्ट फण्ड के माध्यम से छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। इस सन्दर्भ में सूचना प्रदान करें कि उपरोक्त योजना को समाप्त करने के पीछे क्या कारण था, साथ ही योजना को समाप्त करते समय ऐसे छात्र जिनकी गत वर्ष व वर्तमान वर्ष की छात्रवृत्ति आवेदन करने के पश्चात भी नहीं प्राप्त की जा सकी ऐसे छात्रों का सम्पूर्ण विवरण कारण सहित प्रदान करें।

13- दिनांक 8 फरवरी 2019 को विभाग की सचिव महोदया की अध्यक्षता में भारतीय दृष्टिबाधित संयुक्त संघ के प्रतिनिधिमंडल व सम्बंधित पदाधिकारियों की सामूहिक बैठक संपन्न कराई गयी जिसके कार्यवृत्त भी तैयार कराये गए थे। इस सन्दर्भ में उपरोक्त कार्यवृत्त के आधार पर मंत्रालय द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न राज्यसरकारों से प्राप्त आख्या जो कार्यवृत्त के आधार पर मांगी गयी थी, की छायाप्रति प्रदान करें।

14- वर्तमान समय तक भारत सरकार द्वारा दृष्टिदिव्यांगजनों हेतु ब्रेल लिपि में पुस्तक तैयार करने के उद्देश्य से लगाए गए सभी ब्रेल प्रेसों का विवरण, सम्बंधित संस्थान का नाम ब्रेल प्रेस हेतु प्रदान की गयी राशि व स्थापित ब्रेल प्रेस के पते सहित प्रदान करें।

15- कृपया सूचना प्रदान करें कि दृष्टिदिव्यांगजनों हेतु पदों को चिन्हांकित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय तक कुल कितनी समितियां गठित की जा चुकी हैं। प्रत्येक समिति का सम्पूर्ण विवरण प्रदान करने के साथ साथ अंतिम चिन्हांकित पदों की प्रतिलिपि प्रदान करें।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त 15 बिंदुओं से सम्बंधित सूचना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत मेरी ईमेल (mantosh.kmr.1@gmail.com) पर अथवा अन्य माध्यमों से पूर्णतः सुगम्य प्रारूप (Accessible Format) में उपलब्ध कराने की कृपा करें

प्रार्थी



मंतोष कुमार

सचिव, होप ऑफ डेस्टिनेशन संस्था व

शोधार्थी

डॉ० शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

पुरुष छात्रावास

ब्लॉक 1, कमरा संख्या-203

मोहन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226017

मो०-9012578768 ई-मेल-mantosh.kmr.1@gmail.com

संलग्नक- रू० 10/- पोस्टल आर्डर सं०- 549547